(e) whether it is also a fact that the displaced persons have to be paid about tundred crore rupees as compensation;

(d) if the answer to the above parts is ii affirmative whether in the light of ourt's decision, Government propose to iay to the displaced persons accordingly; nd

(e) if so, by when and if not, the :asons therefore?

THE MINISTRY OF STEEL & HNISTER OF MINES (SHRI IRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) * (e) The information is being collected id will be laid on the Table of the ouse.

:कारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा पनियों आदि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रक्षण

1792 श्री जनार्दन यादव: क्या कल्याण मंत्री यह ने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सरकारी ष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कम्पनियों को ा पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने हेतु जारी ! गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

(ख) उपरोक्त संस्थाओं द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के ोदवारों को आयु सीमा में छूट के साथ-साथ और अवसरों का लाभ, आवेदन शुल्क, में रियायत एवं ी परीक्षा में बैठने के लिए अंक पात्रता में रियायत लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण है जबकि संघ ; सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं में ऐसे ादवारों को इस तरह के लाभ दिए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार स्वायत्तशासी निकायों एवं सरकार अनुदान पर चलने वाली संस्थाओं में भी अन्य पिछड़े के उम्मीदवारों को आरक्षण देने का विचार रखती

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): । केन्द्र सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/22/93-स्थापना (एस०सी०टी०) दिनांक 8 बर, 1993 के अनुसार सम्पन्न वर्ग के रूप में ह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उन्नत तयों/समुदायों को छोड़कर भारत सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया है।

केन्द्र सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 42014/10/94-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों के लिए लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कारों से संबंधित मानकों में भी छूट प्रदान की है। अधिसूचना संख्या 13018/17/93-ए०आई०एस० (1) दिनांक 25.1.1995 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को जो अन्तथा पात्र है, के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट तथा अनुमत्य प्रत्यासों की संख्या 7 तक बढ़ा दी गयी है।

(ख) सरकार ने सभी संबंधित संगठनों को जहां यह लागू किए जाने योग्य है, को इन आदेशों के कार्यान्वयन के लिए अनुदेश जारी कर दिया है। आरक्षण से संबंधित मामले में सरकार द्वारा जारी अनुदेश को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम अनुसरण करते है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Delay in payment of Wages/Statutory dues to the Employees of PSUs

1793. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DASGUPTA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of workers in certain central public sector undertakings in the country are not getting regular payment of wages and other statutory dues after retirement such as PF, gratuity etc; and

(b) if so, the details of such undertakings and steps proposed to be taken to ensure that the workers are paid regularly?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Some delays have taken place in